



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 175]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 23, 2018/चैत्र 2, 1940

No. 175]

NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 23, 2018/CHAITRA 2, 1940

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 मार्च, 2018

सं. 32/2018-सीमा शुल्क

**सा.का.नि. 275(अ).**— सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उप-धारा (1) और सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की धारा 3 की उपधारा (12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, एतद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 50/2017-सीमा शुल्क, दिनांक 30 जून, 2017, जिसे सा.का.नि. 785 (अ), दिनांक 30 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्-:

उक्त अधिसूचना में, तालिका में

(i) क्रम संख्या 515 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के बाद निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
“515क	8529	ओपन सेल (15.6” और इससे अधिक), लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले (एल.सी.डी.) और लाइट इमीटिंग डायोड (एल.ई.डी.) टीवी पैनल्स जो कि शीर्ष 8529 में आते हैं के विनिर्माण में प्रयोग हेतु।	5%	-	9”;

(i) क्रम संख्या 516 के समक्ष कॉलम (3) में, मद (i) का लोप किया जाएगा।

[फा.सं. 354/20/2017-टीआरयू]

रूचि बिष्ट, अवर सचिव

**टिप्पण:** मूल अधिसूचना सं0 50/2017-सीमा शुल्क, तारीख 30 जून, 2017 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में, सा.का.नि. संख्यांक 785(अ), तारीख 30 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित की गई थी जो अधिसूचना सं0 31/2018-सीमा शुल्क, तारीख 20 मार्च, 2018 सा.का.नि. 250 (अ), तारीख 20 मार्च, 2018 द्वारा अंतिम बार संशोधित की गई।

## MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

### NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd March, 2018

**No. 32/2018-Customs**

**G.S.R. 275 (E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962) and sub-section (12) of section 3 of the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 50/2017-Customs, dated the 30th June, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 785(E), dated the 30th June, 2017, namely:-

In the said notification, in the Table,

(i) after S.No. 515 and the entries relating thereto, the following S.No. and entries shall be inserted, namely:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
“515A	8529	Open cell (15.6” and above) for use in the manufacture of Liquid Crystal Display (LCD) and Light Emitting Diode (LED) TV panels of heading 8529	5%	-	9”;

(ii) against S.No. 516, in column (3), item (i) shall be omitted.

[F.No. 354/20/2017-TRU]

RUCHI BISHT, Under Secy.

**Note:** The principal notification No.50/2017-Customs, dated the 30th June, 2017 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 785(E), dated the 30th June, 2017 and last amended vide notification No. 31/2018-Customs, dated the 20<sup>th</sup> March 2018, published vide number G.S.R. 250 (E), dated the 20<sup>th</sup> March; 2018.